महत्वपूर्ण एवं खास

बार लायसेंस फीस अब 15 तक होगा जमा

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ शासन के आबकारी विभाग ने नोवल कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए वर्ष 2020-21 की बार लायसेंस की फीस जमा कराने की अवधि को 15 अप्रैल तक तक बढ़ाए जाने के साथ ही बीते 22 मार्च से लॉकडाउन की अवधि पर बार एवं क्लब के लिए मदिरा के उठाव के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से भी छूट प्रदान किए जाने का आदेश जारी किया है। वर्ष 2020-21 की एफएल 3, एफएल 3 क, एफएल 4 एवं एफएल 4 क हेतु निर्धारित लायसेंस फीस को जमा किए जाने हेतु लायसेंसियों को 15 अप्रैल तक का समय दिया गया है।

ओटीपी नंबर पूछकर 2 लाख 10 हजार की धोखाधड़ी की

रायपुर (आरएनएस)। एटीएम कार्ड का ओटीपी नंबर पूछकर एवं कार्ड का क्लोन बनाकर फर्जीवाड़ा करने वालों की संख्या में दिनोंदिन वृद्धि हो रही है। अभनपुर थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार भागीरथी सिन्हा आयु 31 वर्ष पिता सखाराम सिन्हा निवासी शिक्षक नगर अभनपुर से मोबाइल धारक मारूति गैरेज मौदहापारा ने पांच रुपये गुगल पर फोन सर्च करने के नाम पर ऑनलाइन पांच रुपये भुगतान करने की बात कही। प्रार्थी द्वारा ऑनलाइन ओटीपी नंबर आरोपी के पूछने पर बताया गया जिसके आधार पर आरोपी ने एक्सिस अभनपुर के प्रार्थी के खाते से तीन बार में 2 लाख दस हजार रुपये की राशि का आहरण कर धोखाधड़ी की। उक्त मामले में अभनपुर थाने ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत मामला कायम किया है।

प्रीति वर्मा ने जुड़वा बच्चों को दिया जन्म, नाम रखा कोरोना कोविद

» लॉकडाउन की स्थिति रही बेअसर

रायपुर (आरएनएस)। कड़ी लॉकडाउन की स्थिति में सुरक्षा व्यवस्था के चलते जहां लोगों की आवाजाही बंद है। शहर की सड़कें दिन एवं रात में सुनसान है वहीं पुरानी बस्ती वर्मा परिवार की श्रीमती प्रीति वर्मा ने गर्भवती हालत में अस्पताल पहुंचने का साधन नहीं होने पर मोटर सायकल में सवार होकर तमाम बेरिकेट लॉकडाउन को पार कर मेकाहारा पहुंचकर जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। प्रीति ने बच्चों का नाम कोरोना और कोविद रखा है। मां एवं बच्चा स्वस्थ होने की जानकारी मिली है। बीती 27 तारीख को जन्में जुड़वा बच्चों के साथ ही परिवार में रौनक आ गई। प्रीति के पति विनय वर्मा के अनुसार एक बेटा और बेटी संतान के रूप में पाकर बेहद खुश हैं। वर्मा दंपत्ति ने लोगों से कोरोना वायरस से न डरने की अपील करते हुए उसके खिलाफ कमर कसकर लड़ाई लड़ने की इच्छा व्यक्त की है।

विदेशी मदिरा दुकान से सुपरवाईजर ने 10 पेटी अंग्रेजी शराब चोरी की, मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। पूरे प्रदेश में इन दिनों लॉकडाउन की स्थित है, बावजूद इसके देवेन्द्रनगर थाना क्षेत्र में विदेशी मदिरा दुकान के सुपरवाईजर द्वारा 10 पेटी शराब चोरी करने का मामला प्रकाश में आया। मिली जानकारी के अनुसार सुपरवाईजर ने 8 पेटी गोल्डन गोवा व्हीस्की, 2 पेटी पार्टी स्पेशल पेटी व्हीस्की सीलबंद दुकान का शटर का ताला तोड़कर चोरी की। उक्त मामले में आबकारी उपनिरीक्षक सुप्रीया तिवारी ने आरोपी सुपरवाईजर के खिलाफ आईपीसी की धारा 181 की तहत चोरी का मामला दर्ज कराते हुए उसकी गिरफ्तारी करवाई है।

लॉकडाउन के दौरान 250 कुलियों को दिया गया निःशुल्क राशन

रायपुर (आरएनएस)। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के दौरान रेल्वे स्टेशनों में काम करने वाले कुलियों को राशन दिया जा रहा है। जिला प्रशासन की पहल पर आज बिलासपुर रेल्वे स्टेशन के 130 कुलियों को 13 सौ किलो चांवल और 260 किलो दाल का निःशुल्क वितरण किया गया है। इसीप्रकार रायपुर स्टेशन में काम करने वाले 120 कुलियों को राशन एवं अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा दिहाडी मजदूरों और जरूरतमंदों को लॉकडाउन के दौरान राशन सामग्री तथा अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

कोरोना लॉक डाउन के दौरान भी पेंशन और मजदूरी भुगतान अब गांव में ही

» सामाजिक दूरी और स्वछता को ध्यान में रखते हुए 1500 से अधिक बीसी सखियां दे रही है बैंकिंग सुविधाएं

रायपुर। ोरोना महामारी के प्रकोप के चलते लागू लॉक डाउन के दौरान ग्रामीणों को अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन और मजदूरी की राशि अब बीसी सखी के माध्यम से यह राशि गांव में ही उन्हें मिल रही है।

ये बीसी सखियां ज्यादा बुजुर्ग, दिव्यांग और अक्षम लोगों के घर पहुंच कर उन्हें पेंशन की राशि प्रदान कर रही है। इन बीसी सखियों द्वारा लेनदेन के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का समुचित पालन किया जा

रहा है, ताकि कोरोना के संक्रमण से बचाव हो सके। इसके लिए बीसी सखी द्वारा अपने मुंह को ढंककर रखने के अलावा ग्राहकों को एक एक मीटर की दूरी पर लाइन बनाने को प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही बॉयोमेट्रिक लेनदेन होने के कारण सभी ग्राहकों के हाथ और मशीन के हर लेनदेन के पहले और बाद में सैनिटाइजर से साफ किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान महिला समूह सदस्य, किसानों और मजदूरों के खाते में निश्चित रकम जमा कराई जा रही है, निश्चित ही ये बीसी सखियां इन हितग्राहियों की राशि आहरण में काफी अहम रोल अदा करेंगी। गांव-गांव तक बैंकिग सुविधा पहुंचाने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के अंतर्गत वर्तमान में प्रदेश में 1522 महिलाएं बीसी सखी के रूप में गांवों में सेवाएं दे रही हैं और अगले वर्ष तक इनकी संख्या 3000 तक करने का लक्ष्य है।

बीसी सखी की नियुक्ति से लोगों को छोटी-छोटी राशियों के लेन-देन के लिए बार-बार बैंक नहीं जाना पड़ता है और इससे बैंकिंग सुविधाएं घर-घर तक पहुंच रही है। बैंक आने-जाने में लोगों के लगने वाले धन, श्रम और समय की भी बचत हो रही है और बैंकों पर भीड़ का दबाव भी कम है।

कोरोना प्रबंधन कार्य में लापरवाही : अभनपुर बीईओ निलंबित

रायपुर (आरएनएस)। बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के अपने पद का दुरूपयोग करते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में जारी आदेश-निर्देश का उल्लंघन करने पर श्री मोहम्मद इकबाल विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अभनपुर को आयुक्त रायपुर संभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। श्री इकबाल को पद का दुरूपयोग करते हुए लॉकडाउन से छूट के कोरा फार्म में हस्ताक्षरित कर पद मुद्रा सहित मोबाईल नम्बर दर्ज कर अधिकारिता रहित आदेश जारी करने के कारण कलेक्टर रायपुर के प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित किया गया है।

शराब न मिलने से बेहाल कई मदिराप्रेमी अस्पताल में भर्ती

» वनांचल क्षेत्रों में कच्ची शराब का सेवन हो सकता है घातक

रायपुर (आरएनएस)। राज्य के साथ ही देशभर में जारी लॉकडाउन के बीच अब खबर निकल कर आ रही है कि शराब के आदी हो चुके लोगों को शराब नहीं मिलने के कारण वे बदहवाश हो रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों को अस्पताल तक में भर्ती कराया गया है। इधर शराब नहीं मिलने के कारण आज राजधानी के दो लोगों ने स्पीरिट पी लिया, जिसके चलते एक की मौत हो गई वहीं दूसरा गंभीर रूप से बीमार होकर अस्पताल में भर्ती है। ज्ञात हो कि इस समय देश भर में चल रहे लॉकडाउन से जहां आम आदमी बेहाल हो उठा है तो वहीं मदिराप्रेमियों की हालत दिनों दिन पतली होती जा रही है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी देशी-अंग्रेजी शराब दुकानों का शटर डाउन है। ऐसे में शराबियों को शराब नहीं मिल पा रहा है। हालांकि वनांचल क्षेत्रों में चोरी-छिपे महुआ शराब का सेवन आम बात है। बताया जाता है कि शहर में शराबप्रेमियों को इधर-उधर भटकता देखा जा रहा है।

कृषि एवं जलसंसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिया 2 लाख रुपये का अंशदान

रायपुर (आरएनएस)। संसदीय कार्य, विधि एवं विधायी कार्य, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, पशुपालन, मछली पालन, जल संसाधन एवं आयाकट मंत्री रविन्द्र चौबे ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम हेतु दो लाख रूपये की राशि का अंशदान दिया है। कृषि एवं जलसंसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे द्वारा विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र विकास योजना अंतर्गत नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम हेतु उपाय करने व सामग्री क्रय किये जाने विधायक निधि मद से 20 लाख रुपये सहायता कोष में जमा करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया ने किया तीन स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण

रायपुर। महिला एंव बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डौण्डीलोहारा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिखलाकसा और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डौण्डी का निरीक्षण किया।

उन्होंने स्वास्थ्य केन्द्रों में भर्ती मरीजों से भेंटकर उनसे स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। चिकित्सकों से दवाईयों की उपलब्धता आदि की जानकारी ली। मंत्री श्रीमती भेंडिया ने अस्पताल परिसर को स्वच्छ रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर चिकित्सक तथा स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारी मौजूद थे।

संकट की घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार का एक और बड़ा फैसला

» परिवहन मंत्री श्री अकबर के प्रस्ताव पर कैबिनेट द्वारा दी गई थी मंजूरी

» मुख्यमंत्री श्री बघेल की पहल पर बस-ट्रक ऑपरेटरों को 331 करोड़ की बकाया टैक्स, ब्याज व पेनाल्टी की माफी

रायपुर। परिवहन विभाग द्वारा देश भर में लागू लॉकडाउन और भविष्य की व्यावसायिक स्थिति को देखेते हुए 31 मार्च 2013 तक बकाया टैक्स पेनाल्टी और ब्याज को पूरी तरह से माफ करने का निर्णय लिया गया है।

इस महत्वपूर्ण निर्णय के तहत बस और ट्रक आपॅरेटरों को लगभग 221 करोड़ रूपए का फायदा होगा। इसके लिए राज्य शासन द्वारा संचालित एक मुश्त निपटान योजना के तहत बस-ट्रक ऑपरेटरों को वर्ष 2013 से 2018 तक शासन को देय राशि में से 110 करोड़ रूपए की पेनाल्टी को माफ किया जा रहा है।

इस तरह परिवहन विभाग द्वारा वाहन मालिकों को कुल 331 करोड़ रूपए की राशि माफ की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 24 मार्च को आयोजित केबिनेट की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव परिवहन तथा वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर द्वारा रखा गया था, इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा बस-ट्रक ऑपरेटरों के हित को ध्यान में रखकर

सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मंत्रिमंडल सहित तत्परता से सहमति प्रदान कर दी गई। कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल द्वारा इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव और इसमें लिए गए निर्णय को राज्य के परिवहन व्यवसाय के क्षेत्र में राहत पहुंचाने वाला एक सराहनीय कदम बताया गया। छत्तीसगढ़ सरकार के इस राहत भरे महत्वपूर्ण फैसले से राज्य में संकट की घड़ी में बस और ट्रक ऑपरेटरों को काफी लाभ मिलेगा।

संयुक्त वन प्रबंधन समिति- कोरोना संकट में मदद के लिए आगे आयी महिलाएं

रायपुर। अब तक 5 हजार से अधिक मास्क का किया निर्माणवन विभाग के अंतर्गत गठित संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की महिलाएं भी अब कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न इस विषम परिस्थिति में सहायता के लिए आगे आयी हैं। इनके द्वारा वर्तमान में लोगों को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से मास्क निर्माण का कार्य निरंतर जारी है। यह मानवीय चेहरा प्रदेश के दूरस्थ वनांचल स्थित फरसगांव वन परिक्षेत्र के पतोड़ा और बड़ेडोंगर वन परिक्षेत्र के मांझीआठगांव के संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की महिलाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री राकेश चतुर्वेदी ने बताया कि केशकाल वन मण्डल के अंतर्गत इन समितियों के 14 महिलाओं द्वारा अब तक 5 हजार से अधिक मास्क का निर्माण कर लिया गया है। इनके द्वारा मास्क निर्माण का कार्य निरंतर जारी है। चतुर्वेदी ने यह भी बताया कि संयुक्त वन प्रबंधन समिति की महिलाओं को मास्क निर्माण के कार्य में कोई दिक्कत न हो, वन विभाग द्वारा उन्हें आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा दी गई है।

लॉकडाउन के दौरान कबीरधाम जिले में तीन ट्रकों का अवैध प्रवेश, तीनों चालको पर जुर्म दर्ज, ट्रक जब्त

कवर्धा (आरएनएस)। कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण के लिए जारी लॉकडाउन में कबीरधाम जिले की सीमा में अवैध रूप से प्रवेश कराने वाले तीन ट्रक चालकों पर अपराध पंजीबद्ध कर ट्रक जब्त कर लिया गया है। तीन अलग-अलग सीमावर्ती क्षेत्र चिल्फी, पोलमी और दशरंगपुर में तीन ट्रक के अवैध परिवहनों पर कार्यवाहीं हुई है।

वाहन चालको पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने जिले अथवा जिले के बाहर खाद्यान्न सामाग्रियों से जुड़ी ट्रकों के परिवाहनों की अनुमति दी है। जब्त एक ट्रक में टैंकर लोड़ था। वही दो अन्य ट्रकों में कुछ मजदूर को अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में लॉक डाउन किया गया है। कबीरधाम जिले में कलेक्टर श्री शरण द्वारा खाद्यान्न समाग्री अथवा उनके जुडे खाली वाहनों के मुमेंट की ही अनुमति दी गई है। कवर्धा अनुविभागीय अधिकारी श्री विपुल गुप्ता ने बताया कि जिले के अंतिम सीमा क्षेत्र कवर्धा-बेमेतरा मार्ग के दशरंपुर चैकी में ट्रक क्रमांक एमपी 04 जीए 2899 को जब्त किया गया है और वाहन चालक के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। यह डिप्टीकलेक्टर श्री विनय कश्यप और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही की गई है। ट्रक में लगभग 30-से 35 श्रमिक सवार थे। सभी श्रमिकों का स्वास्थ्य अमले द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है।

17 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जप्त, तीन गिरफ्तार

भिलाई (आरएनएस)। लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब के चोरी छिपे बेचने की फिराक में जुटे तीन आरोपियों को छावनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छावनी नगर निरीक्षक विनय सिंह बघेल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि कैम्प 2 गांधी चौक के समीप 26 वर्षीय सद्दाम हुसैन उर्फसानू के मकान में मध्यप्रदेश से लाई गई शराब लाकॅडाउन के दौरान क्षेत्र में खपायी जा रही है। पुलिस टीम ने मकान की घेराबंदी कर 31 मार्च की अलसुबह मकान में घुसी तो सद्दाम हुसैन, आशीफ तंवर 22 वर्ष, मेहबूब खान 58 वर्ष घर में मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने बेसहारा लोगों के लिए बनाए गए आश्रय स्थलों का किया निरीक्षण

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर के लाभांडी स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वसुविधायुक्त बहु मंजिला भवन में कोरोना वायरस से बचाव के लिए बनाए गए आश्रय स्थल का भ्रमण कर वहां की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

इस आश्रय स्थल में बांग्लादेश के एक व्यक्ति सहित 11 राज्यों के 205 लोगों को आश्रय दिया गया है। इनमे छत्तीसगढ़ के 121 लोग हैं। 11 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने निवास स्थल का पता नहीं है। यहां

जरूरतमंद और बेसहारा लोगों के रहने और भोजन का इंतजाम किया गया है। इस अवसर पर कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आरिफ शेख, नगर निगम रायपुर के कमिश्नर सौरभ कुमार, जिला पंचायत के सीईओ डॉ. गौरव कुमार सिंह भी उपस्थित थे।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसमर्पण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी सकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहयता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूल्ये विरासे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU